पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–11 / 2017 / 2.7(आ0) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14/08/2019

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 15 (स्वी०) दिनांक 13.08.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹2,00,000.00 (दो लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 15 (स्वी०) **दिनांक 13.08.2019** द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में "मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना" एवं "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना" के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु संविदा के आधार पर नियुक्त तकनीकी सहायकों को एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सम्राट अशोक कनवेंशन सेंटर अवस्थित ज्ञान भवन को दिनांक 19.08.2019 (सोमवार) को आरक्षित करने के लिए पंजीकरण की राशि **₹1,75,000.00 (एक लाख पचहतर हजार रूपये)** मात्र एवं सुरक्षित जमा के लिए **₹25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये)** मात्र, अर्थात कुल **₹2,00,000.00 (दो लाख रूपये)** मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में **कुल ₹2,00,000.00 (दो लाख रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

3. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना** होगें, जो राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय, कोषागार, पटना से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0102.28.02–संविदा सेवाएँ'** इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–2515000010102** है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019 एवं 3392 दिनांक 01.03.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

– – – लगातार – – –

C:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010102\...etter.docx

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकारी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण सभुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

14/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प / राज्य स्कीम–02–11 / 2017 / 27(3110) / पं०रा० पटना, दिनांक 14/08/2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प / राज्य स्कीम–02–11 / 2017 / 27(3110) / पं०रा० पटना, दिनांक 14/08/2019

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 / आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/8/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम-02-13/2017/39(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 04/09/2019....

विषयः **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 26.04.2019 के आलोक में कुल ₹1,00,500.00 (एक लाख पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 26.04.2019 के माध्यम से पंचायती राज विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना से संबंधित HDPE/MDPE/UPVC Pipes & Fitting सामग्रियों का प्री डिलिवरी एवं पोस्ट डिलिवरी इंस्पेक्शन विषय पर प्रभारी कनीय अभियंताओं का एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला दिनांक 18.09.2018 एवं दिनांक 05.10.2018 दिया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रशिक्षु ₹1,500.00(पन्द्रह सौ रूपये) मात्र की दर से क्रमशः प्रथम प्रशिक्षण हेतु 33 प्रशिक्षुओं के लिए ₹49,500.00 (उनचास हजार पाँच सौ रूपये) मात्र तथा द्वितीय प्रशिक्षण हेतु 34 प्रशिक्षुओं के लिए ₹51,000.00 (इक्कयावन हजार रूपये) मात्र अर्थात **कुल ₹1,00,500.00 (एक लाख पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि** CIPET, हाजीपुर को भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के अनुरूप कुल ₹1,00,500.00 (एक लाख पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0113-मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के "विषय शीर्ष-0113.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण" से वित्तीय वर्ष 2019-20 में की जायेगी। इसकी माँग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो आवंटित राशि को सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से निकासी कर चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से CIPET, हाजीपुर को उपलब्ध करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

लगातार--

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

2/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम-02-13/2017/39(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 05/09/2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ निदेशक, CIPET, हाजीपुर /प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03 एवं 06(लेखा), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम-02-13/2017/39(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 05/09/2019

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2/9/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\7 Nishchay\Letter.docx

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–13 / 2017 / 856(स्वी०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 20.03.2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 55(स्वी०) दिनांक 19.03.2021 द्वारा स्वीकृत ₹14,84,700.00 (चौदह लाख चौरासी हजार सात सौ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 55(स्वी०) दिनांक 19.03.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹14,84,700.00 (चौदह लाख चौरासी हजार सात सौ रूपये) मात्र की राशि **शिवहर** जिले के कुल **01(एक) ग्राम** पंचायत के संबंधित बैंक खाते में अंतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **55(स्वी०) दिनांक 19.03.2021** के साथ संलग्न विवरणी–'A' के अनुरूप **शिवहर** जिले के कुल **01 ग्राम** पंचायत के संबंधित बैंक खाते में अंतरित किये जाने हेतु कुल **₹14,84,700.00 (चौदह लाख चौरासी हजार सात सौ रूपये) मात्र** की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद से निम्नरूपेण की जायेगीः–

क्र०	**योजना शीर्ष**	**राशि (रूपये में)**
1	"मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना––उपशीर्ष 0112–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड 16-2515007890112 विषय शीर्ष–0112.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	**14,84,700.00**
	कुलः (चौदह लाख चौरासी हजार सात सौ रूपये) मात्र	

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो **CFMS Portal** के माध्यम से राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेंगे एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **55(स्वी०) दिनांक 19.03.2021** के साथ संलग्न विवरणी–A के अनुरूप **शिवहर** जिले के कुल **01(एक) ग्राम** पंचायत को संबंधित मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में **CFMS Portal** के माध्यम से अंतरित करायेंगे।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\7 Nishchay\Letter 2020-21.docx

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4-05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वितीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या: 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017 के पृष्ठ संख्या 120/प० पर दिनांक 19.03.21 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
19/03/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02-13/2017/85(3)पं०रा० पटना, दिनांक 20.03.2021
प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल (मुजफ्फरपुर)/जिला पदाधिकारी, शिवहर/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परषिद्, शिवहर/जिला कोषागार पदाधिकारी, शिवहर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रशाखा–03, 06(लेखा) एवं 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम-02–13/2017/85(3)पं०रा० पटना, दिनांक 20.03.2021
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/03/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/59(अनु०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी
बिहार।

पटना, दिनांक 22/2/2021

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश 35(स्वी०) दिनांक 11.02.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹3,72,28,000.00 (तीन करोड़ बहत्तर लाख अठ्ठाईस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **35(स्वी०) दिनांक 11.02.2021** द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नली पक्कीकरण निश्चय योजना एंव मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यालयों में अनुबंध/संविदा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय हेतु कार्यरत कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹3,72,28,000.00 (तीन करोड़ बहत्तर लाख अठ्ठाईस हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹3,72,28,000.00 (तीन करोड़ बहत्तर लाख अठ्ठाईस हजार रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2020–21 में निम्नरूपेण आवंटित की जाती है।

क्र० सं०	DPRO के कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1	अररिया	429000.00
2	अरवल	260000.00
3	औरंगाबाद	579000.00
4	बाँका	779000.00
5	बेगूसराय	1236000.00
6	भागलपुर	1470000.00
7	भोजपुर	928000.00
8	बक्सर	572000.00
9	दरभंगा	1236000.00
10	पूर्वी चम्पारण	1904000.00
11	गया	1648000.00
12	गोपालगंज	928000.00
13	जमुई	620000.00
14	जहानाबाद	364000.00
15	कैमूर	700000.00
16	कटिहार	1032000.00
17	खगड़िया	364000.00
18	किशनगंज	364000.00

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\Allotment 2020-21\State Scheme\P 2515000010102\Letter.docx

19	लखीसराय	364000.00
20	मधेपुरा	876000.00
21	मधुबनी	1192000.00
22	मुंगेर	983000.00
23	मुजफ्फरपुर	1200000.00
24	नालंदा	497000.00
25	नवादा	928000.00
26	पटना	1940000.00
27	पूर्णिया	928000.00
28	रोहतास	1288000.00
29	सहरसा	1432000.00
30	समस्तीपुर	1340000.00
31	सारण	2022000.00
32	शेखपुरा	312000.00
33	शिवहर	733000.00
34	सीतामढ़ी	1184000.00
35	सिवान	1288000.00
36	सुपौल	672000.00
37	वैशाली	1400000.00
38	प० चम्पारण	1236000.00
	कुलः—	**₹37228000.00**

तीन करोड़ बहत्तर लाख अट्ठाईस हजार रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019—20 में मांग संख्या—16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष—2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—उपमुख्य शीर्ष—00— लघुशीर्ष—001—निदेशन एवं प्रशासन—उपशीर्ष—0102—जिला पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0102.28.02—संविदा सेवाएँ' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16—2515000010102 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम—4—05 / 98—2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

पत्रांक: 5प / राज्य स्कीम–02–13 / 2017 / 86 [illegible] पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांक: 20.03.2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 56(स्वी०) दिनांक 19.03.2021 द्वारा स्वीकृत ₹3,47,70,000.00 (तीन करोड़ सैंतालीस लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 56(स्वी०) दिनांक 19.03.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹3,47,70,000.00 (तीन करोड़ सैंतालीस लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की राशि **भागलपुर** जिले के कुल **47 ग्राम** पंचायतों के संबंधित बैंक खाते में अंतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **56(स्वी०)** दिनांक **19.03.2021** के साथ संलग्न विवरणी–'A' के अनुरूप **भागलपुर** जिले के कुल **47 ग्राम** पंचायतों के संबंधित बैंक खाते में अंतरित किये जाने हेतु कुल **₹3,47,70,000.00 (तीन करोड़ सैंतालीस लाख सत्तर हजार रूपये)** मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद से निम्नरूपेण की जायेगी:–

क्र०	योजना शीर्ष	राशि (रूपये में)
1	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–0119–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515007960119 विषय शीर्ष–0119.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	3,47,70,000.00
	कुल: (तीन करोड़ सैंतालीस लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र	

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो CFMS Portal के माध्यम से राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेंगे एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **56(स्वी०)** दिनांक **19.03.2021** के साथ संलग्न विवरणी–A के अनुरूप **भागलपुर** जिले के कुल **47 ग्राम** पंचायतों को संबंधित मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में CFMS Portal के माध्यम से अंतरित करायेंगे।

लगातार---

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\7 Nishchay\Letter 2020-21.docx

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017 के पृष्ठ संख्या 120/प० पर दिनांक 19.03.21 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

19/03/2021

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/ 86(3) पं०रा० पटना, दिनांक 20.03.2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परषिद्, भागलपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रशाखा–03, 06(लेखा) एवं 05 (उपयोगिता प्रभाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/2021

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/ 86(3) पं०रा० पटना, दिनांक 20.03.2021

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/03/2021

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\7 Nishchay\Letter 2020-21.docx

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–13 / 2017 / 827 (314) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 20.03.2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 57(स्वी०) दिनांक 19.03.2021 द्वारा स्वीकृत ₹9,75,13,400.00 (नौ करोड़ पचहत्तर लाख तेरह हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 57(स्वी०) दिनांक 19.03.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹9,75,13,400.00 (नौ करोड़ पचहत्तर लाख तेरह हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि **पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)** जिले के कुल **60 ग्राम** पंचायतों के संबंधित बैंक खाते में अंतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **57(स्वी०) दिनांक 19.03.2021** के साथ संलग्न विवरणी–'A' के अनुरूप **पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)** जिले के कुल **60 ग्राम** पंचायतों के संबंधित बैंक खाते में अंतरित किये जाने हेतु **₹9,75,13,400.00 (नौ करोड़ पचहत्तर लाख तेरह हजार चार सौ रूपये) मात्र** की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद से निम्नरूपेण की जायेगीः–

क्र०	योजना शीर्ष	राशि (रूपये में)
1	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0112–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515007890112 विषय शीर्ष–0112.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	**9,75,13,400.00**
	कुलः (नौ करोड़ पचहत्तर लाख तेरह हजार चार सौ रूपये) मात्र	

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो CFMS Portal के माध्यम से राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेंगे एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **57(स्वी०) दिनांक 19.03.2021** के साथ संलग्न विवरणी–A के अनुरूप **पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)** जिले के कुल **60 ग्राम** पंचायतों को संबंधित मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में CFMS Portal के माध्यम से अंतरित करायेंगे।

लगातार–

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\7 Nishchay\Letter 2020-21.docx

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 7 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से. नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017 के पृष्ठ संख्या 120/प० पर दिनांक 19.03.21 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,
19/03/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/ 87(3)/पं०रा० पटना, दिनांक 20.03.2021
प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल (मुजफ्फरपुर)/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परषिद, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रशाखा–03, 06(लेखा) एवं 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/ 87(3)/पं०रा० पटना, दिनांक 20.03.2021
प्रतिलिपि :आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/03/2021
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\7 Nishchay\Letter 2020-21.docx

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–13 / 2017 / 58 पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 20.03.2021

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 19.03.2021 द्वारा स्वीकृत ₹7,46,76,380.00 (सात करोड़ छियालीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ अस्सी रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 19.03.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹7,46,76,380.00 (सात करोड़ छियालीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ अस्सी रूपये) मात्र की राशि **औरंगाबाद** जिले के कुल **62 ग्राम** पंचायतों के संबंधित बैंक खाते में अंतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 58(स्वी०) दिनांक 19.03.2021 के साथ संलग्न विवरणी–(i) एवं (ii) के अनुरूप **औरंगाबाद** जिले के कुल **62 ग्राम** पंचायतों के संबंधित बैंक खाते में अंतरित किये जाने हेतु **₹7,46,76,380.00 (सात करोड़ छियालीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ अस्सी रूपये) मात्र** की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद से निम्नरूपेण की जायेगी:–

क्र०	योजना शीर्ष	राशि (रूपये में)
1	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0112–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515007890112 विषय शीर्ष–0112.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण।	**2,23,10,600.00**
2	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515001980113 विषय शीर्ष–0113.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण।	**5,23,65,780.00**
	कुल	**7,46,76,380.00**
	कुलः (सात करोड़ छियालीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ अस्सी रूपये) मात्र	

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो CFMS Portal के माध्यम से राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेंगे एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **58(स्वी०) दिनांक** 19.03.2021 के साथ संलग्न विवरणी (i) एवं (ii)

लगातार.

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\7 Nishchay\Letter 2020-21.docx

के अनुरूप **औरंगाबाद** जिले के कुल **62 ग्राम** पंचायतों को संबंधित मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में CFMS Portal के माध्यम से अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017 के पृष्ठ संख्या120/प० पर दिनांक19.03.21को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/885/पं०रा० पटना, दिनांक 20.03.2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध (गया)/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परषिद्, औरंगाबाद/जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रशाखा–03, 06(लेखा) एवं 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/885/पं०रा० पटना, दिनांक 20.03.2021

प्रतिलिपि :आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\7 Nishchay\Letter 2020-21.docx

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम 02-11/2017/ 76 (अनु०) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 25.03.2020

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 33(स्वी०) दिनांक 19.03.2020 द्वारा स्वीकृत कुल ₹4,41,11,743.00 (चार करोड़ इकतालिस लाख ग्यारह हजार सात सौ तैतालीस रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 33(स्वी०) दिनांक 19.03.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु अनुबंध/संविदा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालयों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान हेतु कुल **₹4,41,11,743.00 (चार करोड़ इकतालिस लाख ग्यारह हजार सात सौ तैतालीस रूपये)** मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में स्वीकृत्यादेश संख्या 33(स्वी०) दिनांक 19.03.2020 एवं इसके साथ संलग्न विवरणी के अनुरूप **कुल ₹4,41,11,743.00 (चार करोड़ इकतालिस लाख ग्यारह हजार सात सौ तैतालीस रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित की जाती है।

3. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. **सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16-2515000010102) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2019-20** में **मांग संख्या-16** के राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0102-जिला पंचायत की स्थापना"** मद के विषय शीर्ष **'0102.28.02-संविदा सेवाएँ'** इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16-2515000010102** है।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010102\Letter.docx

2019, 6786 दिनांक 19.08.2019 एवं 331 दिनांक 05.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या : 5प/राज्य स्कीम 02 11/2017 के पृष्ठ संख्या 54 /प० पर दिनांक 23/3/20 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

25/03/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम 02 11/2017/ 76(अनु०)पं०रा० पटना, दिनांक 25.03.2020

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/03/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम 02 11/2017/ 76(अनु०)पं०रा० पटना, दिनांक 25.03.2020

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/03/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\P 2515000010107\Letter.docx

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–13 / 2017 / 54 (अ) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 31.10.19

विषयः **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 21(स्वी०) दिनांक 24.10.2019 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल ₹550.00 करोड़ (पाँच अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **21(स्वी०) दिनांक 24.10.2019** द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम मद से "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु **कुल ₹550.00 करोड़ (पाँच अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि** उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी 'अनुलग्नक–A' के अनुसार राज्य के 3982 (तीन हजार नौ सौ बयासी) ग्राम पंचायतों में वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹550.00 करोड़ (पाँच अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद से निम्नरूपेण की जायेगी:–

क्र०	योजना शीर्ष	राशि (करोड़ में)
1	"मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 198 ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0113 मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड 16-2515001980113 विषय शीर्ष 0113.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	398.0745
2	"मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष 0112 मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड 16-2515007890112 विषय शीर्ष 0112.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	141.4195
3	"मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष 0119 मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड 16-2515007960119 विषय शीर्ष 0119.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	10.506
	कुल (पाँच अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र	**550.00**

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेंगे एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **21(स्वी०) दिनांक 24.10.2019** के साथ संलग्न विवरणी 'अनुलग्नक–A' के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में CFMS Portal के माध्यम से अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को इस स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

31/10/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/54(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 31.10.19

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद ~~/सभी जिला~~ पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/10/19

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम--02--13/2017/ 54(अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 31.10.19
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/10/19
(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\State Scheme\7 Nishchay\Letter docx

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–11 / 2017 / 08(अ०)पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 22.04.2020

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 15.04.2020 द्वारा स्वीकृत कुल ₹4,05,84,000.00 (चार करोड़ पाँच लाख चौरासी हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 15.04.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना हेतु विभिन्न कार्यालयों में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से अनुबंध / संविदा के आधार पर प्रखण्ड स्तरीय कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक / मानदेय के भुगतान हेतु **कुल ₹4,05,84,000.00 (चार करोड़ पाँच लाख चौरासी हजार रूपये) मात्र** की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में **कुल ₹4,05,84,000.00 (चार करोड़ पाँच लाख चौरासी हजार रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2020–21 में निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

क्र०	DPRO के कार्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	Araria	684000.00
2	Arwal	380000.00
3	Aurangabad	836000.00
4	Banka	836000.00
5	Begusarai	1368000.00
6	Bhagalpur	1216000.00
7	Bhojpur	1064000.00
8	Buxar	836000.00
9	Darbhanga	1368000.00
10	E.Champaran	2052000.00
11	Gaya	1824000.00
12	Gopalganj	1064000.00
13	Jamui	760000.00
14	Jehanabad	532000.00
15	Kaimur	836000.00
16	Katihar	1216000.00

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\16-2515000010102\Letter.docx

लगातार...

17	Khagaria	532000.00
18	Kishanganj	532000.00
19	Lakhisarai	532000.00
20	Madhepura	988000.00
21	Madhubani	1596000.00
22	Munger	684000.00
23	Muzaffarpur	1216000.00
24	Nalanda	1520000.00
25	Nawada	1064000.00
26	Patna	1748000.00
27	Purnea	1064000.00
28	Rohtas	1444000.00
29	Saharsa	760000.00
30	Samastipur	1520000.00
31	Saran	1520000.00
32	Sheikhpura	456000.00
33	Sheohar	380000.00
34	Sitamarhi	1292000.00
35	Siwan	1444000.00
36	Supaul	836000.00
37	Vaishali	1216000.00
38	W.Champaran	1368000.00
	Total :-	**40584000.00**

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2020–21** में **मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत "**मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना**" मद के विषय शीर्ष '**0102.28.02–संविदा सेवाएँ**' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–2515000010102** है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017 के पृष्ठ संख्या 56/टि० पर दिनांक 17.04.2020 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः– यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/08(3)/पं०रा० पटना, दिनांक 22.04.2020

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/08(3)/पं०रा० पटना, दिनांक 22.04.2020

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/ 11(आ0)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांकः 30/04/2020

विषयः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 05(स्वी०) दिनांक 29.04.2020 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल ₹484.450 करोड़ (चार अरब चौरासी करोड़ पैंतालीस लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **05(स्वी०) दिनांक 29.04.2020** द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य स्कीम मद से "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु **कुल ₹484.450 करोड़ (चार अरब चौरासी करोड़ पैंतालीस लाख रूपये) मात्र की राशि** उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक 'विवरणी–A' के अनुसार राज्य के 1681 (एक हजार छह सौ इक्कयासी) ग्राम पंचायतों में वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹484.450 करोड़ (चार अरब चौरासी करोड़ पैंतालीस लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद से निम्नरूपेण की जायेगीः–

क्र०	योजना शीर्ष	राशि(करोड़ में)
1	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515001980113 विषय शीर्ष–0113.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	426.316
2	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0112–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515007890112 विषय शीर्ष–0112.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	48.445
3	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–0119–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड–16-2515007960119 विषय शीर्ष–0119.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण।	9.689
	कुल– (चार अरब चौरासी करोड़ पैंतालीस लाख रूपये) मात्र	**484.450**

लगातार– –

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\7 Nishchay\Letter 2020-21.docx

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेंगे एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **05(स्वी०) दिनांक 29.04.2020** के साथ संलग्न अनुलग्नक 'विवरणी–A' के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में CFMS Portal के माध्यम से अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को इस स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017 के पृष्ठ संख्या 64/प० पर दिनांक 20/09/20 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\7 Nishchay\Letter 2020-21.docx

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/11(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 30/04/2020

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायुत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेुत प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/11(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 30/04/2020

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–13 / 2017 / 09.3.07 पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार (कटिहार को छोड़कर)।

पटना दिनांकः 22.04.2020

विषयः **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04(स्वी०) दिनांक 17.04.2020 के आलोक में कुल ₹13,69,30,000.00 (तेरह करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प–4046 दिनांक 25.07.2018 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04(स्वी०) दिनांक 17.04.2020 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलों के संविदा / मानदेय के आधार पर नियोजित तकनीकी सहायकों के लिए **₹7,42,50,000.00 (सात करोड़ बयालीस लाख पचास हजार रूपये)** मात्र तथा लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के लिए **₹6,26,80,000.00 (छह करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हजार रूपये)** मात्र अर्थात **कुल ₹13,69,30,000.00 (तेरह करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार रूपये)** मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020–21 में तकनीकी सहायकों तथा लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के मानदेय के भुगतान हेतु **कुल ₹13,69,30,000.00 (तेरह करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार रूपये)** मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती हैः–

क्र०	जिला का नाम	तकनीकी सहायकों के के मानदेय के भुगतान हेतु आवंटित राशि	लेखापाल–सह–आई० टी० सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु आवंटित राशि	कुल आवंटन (3+4)
1	2	3	4	5
1	Araria	2484000.00	2160000.00	**4644000.00**
2	Arwal	702000.00	600000.00	**1302000.00**
3	Aurangabad	1998000.00	1960000.00	**3958000.00**
4	Banka	1620000.00	1800000.00	**3420000.00**
5	Begusarai	2700000.00	2160000.00	**4860000.00**
6	Bhagalpur	3024000.00	2160000.00	**5184000.00**
7	Bhojpur	2538000.00	1920000.00	**4458000.00**
8	Buxar	1620000.00	1240000.00	**2860000.00**

9	Darbhanga	4050000.00	3240000.00	**7290000.00**
10	E. Champaran	3564000.00	2880000.00	**6444000.00**
11	Gaya	2970000.00	2800000.00	**5770000.00**
12	Gopalganj	1026000.00	720000.00	**1746000.00**
13	Jahanabad	432000.00	800000.00	**1232000.00**
14	Jamui	1620000.00	1240000.00	**2860000.00**
15	Kaimur	1350000.00	1280000.00	**2630000.00**
16	Khagaria	1674000.00	1000000.00	**2674000.00**
17	Kishanganj	1674000.00	1240000.00	**2914000.00**
18	Lakhisarai	594000.00	720000.00	**1314000.00**
19	Madhepura	1944000.00	1120000.00	**3064000.00**
20	Madhubani	3888000.00	2800000.00	**6688000.00**
21	Munger	918000.00	800000.00	**1718000.00**
22	Muzaffarpur	2214000.00	2960000.00	**5174000.00**
23	Nalanda	2430000.00	2160000.00	**4590000.00**
24	Nawada	1998000.00	1080000.00	**3078000.00**
25	Patna	2592000.00	2680000.00	**5272000.00**
26	Purnea	1998000.00	1880000.00	**3878000.00**
27	Rohtas	2376000.00	2200000.00	**4576000.00**
28	Saharsa	432000.00	960000.00	**1392000.00**
29	Samastipur	2862000.00	2240000.00	**5102000.00**
30	Saran	3024000.00	1880000.00	**4904000.00**
31	Sheikhpura	378000.00	480000.00	**858000.00**
32	Sheohar	648000.00	440000.00	**1088000.00**
33	Sitahmarhi	2808000.00	2120000.00	**4928000.00**
34	Siwan	2808000.00	2640000.00	**5448000.00**
35	Supaul	1512000.00	920000.00	**2432000.00**
36	Vaishali	1080000.00	1080000.00	**2160000.00**
37	W. Champaran	2700000.00	2320000.00	**5020000.00**
	Total :-	**74250000.00**	**62680000.00**	**136930000.00**

3. इस आवंटित राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के "विषय शीर्ष–0113.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण" से वित्तीय वर्ष 2020–21 में की जायेगी। इसकी माँग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। **वे Head Of Account (विपत्र कोड) 16-2515001980113 को अपने CFMS Office में Map कर लेंगे ताकि CFMS द्वारा भी उक्त राशि को यथाशीघ्र आवंटित की जा सके।**

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/09 (3059) पं०रा० पटना, दिनांक 22.04.2020
प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा–03, 06(लेखा) एवं 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांक) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/राज्य स्कीम–02–13/2017/09 (3059) पं०रा० पटना, दिनांक 22.04.2020
प्रतिलिपि :आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी